न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 08 / 2023

1 रोहिताश दत्तक पुत्र गणपत जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दलिप सिंह पुत्र धनाराम।
2 परमेश्वरी पत्नी धनाराम।
3 राजवीर पुत्र सुभाष।
4 सुभिता पत्नी सुभाष।
5 प्रमिला पुत्री सुभाष।
6 संगीता पुत्री सुभाष।
7 सम्पत पुत्री सुभाष समस्त जाति जाट निवासीगण जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
8 इलाहबाद बैंक शाखा झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय झुंझुनू।
9 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.02.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर दावा खाता विभाजन
उनवानी मुकदमा रोहिताश बनाम दलिप वगैरह मुकदमा
नम्बर 59/2019

उपस्थिति :

1. श्री मोहम्मद रसीद, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06/07/2023

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का हमीरीकलां तहसील मलसीसर की भूमि खसरा नम्बर 126,142,144 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। इस वाद में उभयपक्ष की सहमती से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। इन विभाजन प्रस्तावों के अनुसार विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी कर दी गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट पढ़ा लिखा नही है। मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया गया है। मौके पर अपीलांट को भौतिक कब्जे एवं हिस्से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अनुसार भूमि नही दी गई है। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नही हुई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। पक्षकारो में मौके पर कब्जे काश्त को लेकर विवाद नही है किन्तु मौके के विपरित पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री से पक्षकारों में वाद बाहुल्यता होगी। अत अपील स्वीकार कर पुन विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावा अपीलांट का था। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। इसके उपरान्त भी अपीलांट के निवेदन पर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उभयपक्ष की सहमती से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। इस स्तर तक उभयपक्ष में कोई विवाद नही है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई है। इस अंतिम डिक्री को अपीलांट ने यह कहकर चुनौती दी है कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो के मौके पर कब्जे काश्त के विपरित तैयार किये गये है। पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण रिमाण्ड कर पुन विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री को अपास्त किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06/07/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर